

अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत भद्दा कटाक्ष किया

इससे नहीं लगता कि छात्रों व सरकार के बीच यह मामला किसी सम्मानजनक तरीके से सिमटेगा

**-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**
नई दिल्ली, 31 जुलाई। काँकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा, “देश के भविष्य से ज्यादा आपकी चमड़ी चमक रही है।” महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर स्थित अपने गृह नगर लौटने के बाद दीपके ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक और निशाना साधा। उन्होंने संशोधित पेपर लीक विरोधी कानून पर प्रधानमंत्री द्वारा देर रात इस्टीग्राम पर डाले गए वीडियो का मज़ाक उड़ाया। दीपके ने मोदी की पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिखा, “देश के भविष्य से ज्यादा आपकी चमड़ी चमक रही है।” यह टिप्पणी उस समय आई, जब प्रधानमंत्री मोदी ने संसद से “लोक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026” पारित होने पर सैलफी शैली का एक वीडियो जारी किया। उन्होंने इसे भारत की परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता बहाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।

गुरुवार देर रात पोस्ट किए गए इस

- **ऐसी संभावना है कि प्रधानमंत्री की छवि को ठेस पहुँचाने के प्रयास को भाजपा स्वीकार नहीं करेगी और करारा जवाब देगी।**
- **प्रधानमंत्री के शुक्रवार रात आए सैल्फी स्टाइल वीडियो पर दीपके ने कटाक्ष किया है कि “आपकी स्किन देश के भविष्य से ज्यादा चमकदार है।”**
- **छात्रों को लगता है कि प्रधानमंत्री और सरकार उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं हैं, वहीं सत्ता पक्ष को लगता है, छात्रों का व्यवहार बेहद असम्मानजनक है।**
- **दोनों पक्ष खुद को सही और दूसरे पक्ष को असंवेदनशील मानते हैं तथा असम्मानजनक तरीके से देखते हैं।**
- **दोनों ओर से राजनीतिकरण की बदबू आ रही है और ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों के बीच इस मसले का सम्मानजनक समाधान होने की संभावना कम है।**

वीडियो को अब तक 6.3 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने इस विधेयक की सराहना करते हुए कहा कि इससे, कड़ी सजा, तकनीक आधारित सुधार और तेज जांच के जरिए, परीक्षा में होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछली

सरकारें इस दिशा में ठोस कदम उठाने में असफल रही थीं। मोदी ने कहा, “विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं।” उन्होंने बताया कि सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई है, फास्ट-ट्रैक व्यवस्था तैयार की जा रही है और परीक्षा

प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों से भी सलाह ली जा रही है। उन्होंने कहा, “पेपर माफिया, पेपर लीक में शामिल कोई भी गिरोह और देश के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा।” दीपके, जो एक महीने से अधिक समय तक सीजेपी के आंदोलन का नेतृत्व करने के बाद हाल ही में घर लौटे हैं, ने लगभग एक घंटे बाद जवाब देते हुए लिखा, “देश के भविष्य से ज्यादा आपकी चमड़ी चमक रही है।” संशोधित कानून के तहत, परीक्षा में धोखाधड़ी करने वालों के लिए 5 से 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, समयबद्ध जांच अनिवार्य की गई है और राज्यों को पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करनी होंगी। यह कानून इस वर्ष, खासकर नीट-यूजी परीक्षा में पेपर लीक के नए आरोपों के बाद, लाया गया। इन घटनाओं के कारण कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली थी और देशभर में छात्रों का बड़ा आंदोलन शुरू हो गया था। संसद से विधेयक पारित होने से (शेष पृष्ठ 5 पर)

दो दिन में 25 लाख कांवड़ियों ने गंगाजल भरा

हरिद्वार, 31 जुलाई। कांवड़ मेले के दूसरे दिन हरिद्वार में शिवभक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। पुलिस कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को 14 लाख 55 हजार श्रद्धालु पवित्र गंगाजल लेकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक कुल 25 लाख 10 हजार

- **हरिद्वार में शिव भक्तों की भारी भीड़ के लिए प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की।**

शिवभक्त हरिद्वार से गंगाजल लेकर विभिन्न राज्यों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ व्यवस्थाओं का संचालन कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने सभी शिवभक्तों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान निर्धारित मार्गों का उपयोग करें और प्रशासन तथा पुलिस द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करें। (शेष पृष्ठ 5 पर)

पंचायत-निकाय चुनावों पर अवमानना याचिकाएं सारहीन- हाई कोर्ट

जयपुर, 31 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पंचायत और निकाय चुनाव कराने को लेकर पूर्व में 22 मई को दिए आदेश की पालना नहीं होने से जुड़ी अवमानना याचिकाएं शुक्रवार को निस्तारित कर दीं। जस्टिस सुदेश बंसल व जस्टिस बलजिंदर सिंह संघु ने यह निर्देश पूर्व एमएलए संयम

- **अदालत ने कहा, ये चुनाव अब 15 नवंबर तक करवाने हैं, इसलिए याचिकाएं आगे सुनवाई के योग्य नहीं हैं।**

लोढ़ा व गिरिराज सिंह देवदा की अवमानना याचिकाओं पर दिया। सुनवाई के दौरान प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता पुनीत सिंघवी व प्रेमचंद देवदा ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में पंचायत व निकाय चुनाव का समय बढ़वाने के लिए खंडपीठ में प्रार्थना पत्र दायर किया था। जिस पर अब राज्य सरकार को पंचायत व निकाय चुनाव 15 नवंबर तक करवाने हैं। इसलिए ये अवमानना याचिकाएं सारहीन हो गई हैं और आगे सुनवाई योग्य नहीं हैं। इसलिए इन्हें वापस लेने की अनुमति दी जाए। खंडपीठ ने प्रार्थी पक्ष को सुनने के बाद अवमानना याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति देते हुए निस्तारित कर दिया। (शेष पृष्ठ 5 पर)

एमनैस्टी इंटरनैशनल ने एक बार फिर भारत पर सवाल उठाया

एमनैस्टी इंटरनैशनल का आरोप है कि भारत ने इज़रायल को सैन्य सहायता दी, जबकि इस साजो सामान का इस्तेमाल गाज़ा में होने का पूरा खतरा था

**-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**
नई दिल्ली, 31 जुलाई। एमनेस्टी इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट में, गाज़ा में इज़रायल के युद्ध के संदर्भ में भारत की संभावित संलिप्तता की ओर संकेत किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, 7 अक्टूबर 2023 से 30 नवंबर 2025 के बीच भारत से इज़राइल को हथियारों, गोला-बारूद, पुर्जों और सैन्य उपकरणों को 2,596 खेप भेजी गई। “मेड इन इंडिया : द सप्लाई ऑफ वैपस एण्ड एमुनिशन टू इज़रायल” शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में व्यापार संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। इसमें दावा किया गया है कि भारत से मशीनगनों के पुर्जों, तोप के गोले के घटक, विस्फोटक वॉरहेड तथा

- **एमनेस्टी इंटरनैशनल ने अपनी रिपोर्ट ‘‘मेड इन इंडिया: द सप्लाई ऑफ वैपस एण्ड एमुनिशन टू इज़रायल’’ में कहा है कि 7 अक्टूबर 2023 से 30 नवम्बर 2025 तक भारत ने इज़रायल को 2,596 शिपमेंट भेजे, जिनमें हथियार, अस्त्राह, सैन्य उपकरण व कलपुर्जे, विस्फोटक वॉर हैड्स शामिल थे। ये शिपमेंट्स इज़रायल की रक्षा फर्मों, एल्विट सिस्टम्स और राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स को भेजे गए थे।**
- **भारतीय विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट के निष्कर्षों को सिर से खारिज करते हुए कहा कि भारत से होने वाला हथियारों का निर्यात राष्ट्रीय नियमों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप है। इज़रायल के साथ रक्षा संबंध रणनीतिक सहयोग का हिस्सा हैं, यह किसी सैन्य अभियान का समर्थन नहीं है और किसी एक प्रकरण से इसमें परिवर्तन भी नहीं हो सकता है।**

बख़्तरबंद वाहनों के कल-पुर्जे जैसी सामग्री इज़रायल की प्रमुख रक्षा कंपनियों एल्विट सिस्टम्स और राफेल एडवांसड डिफेंस सिस्टम्स को भेजी गई। राजनीतिक दृष्टि से यह रिपोर्ट भारत में राजनैतिक बहस को और तेज कर सकती है। संभावना है कि विपक्षी दल और सिविल सोसायटी संगठन इसका हवाला देकर सरकार की विदेश नीति की प्राथमिकताओं की आलोचना करेंगे और रक्षा निर्यात में अधिक पारदर्शिता की मांग करेंगे। फ़िलिस्तीन समर्थक समूह विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं या अदालतों का रुख कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि सत्तारूढ़ गठबंधन अपने रुख पर कायम रहेगा। सरकार (शेष पृष्ठ 5 पर)

मुस्लिम समाज ने भोजशाला के पीछे जुमे की नमाज़ अदा की

घार, 31 जुलाई। मध्य प्रदेश के धार जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर के पीछे बाउंड्रीवाल से सटी खसरा नंबर 612 की जमीन पर मुस्लिम पक्ष ने शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा की।

दरअसल, उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष ने जिला

- **प्रशासन ने गौली जमीन पर तिरपाल बिछाई और बैरिकेडिंग की।**

प्रशासन से चर्चा के दौरान इस जमीन पर नमाज अदा करने की सहमति जताई थी। शुक्रवार को यहां बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे और जुमे की नमाज अदा की। इससे पहले प्रशासनिक अमले ने बारिश से गौली जमीन पर तिरपाल बिछाई। पूरे क्षेत्र की बैरिकेडिंग कर दी। (शेष पृष्ठ 5 पर)

गंगनहर में डूबने से चार कांवड़ियों की मौत

हरिद्वार, 31 जुलाई। हरिद्वार के ज्वालपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित जटवाड़ा पुल के पास शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे में चार कांवड़ियों की गंगनहर में डूबने से मौत हो गई। सभी मृतक चंडीगढ़ से कांवड़ यात्रा पर

- **ये सभी चंडीगढ़ से कांवड़ यात्रा में हरिद्वार आए थे।**

हरिद्वार आए थे और उनकी उम्र करीब 16 से 18 वर्ष बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जटवाड़ा पुल के पास स्नान के दौरान एक कांवड़िया गहरे गड्ढे में फंसकर डूबने लगा। उसे बचाने के लिए उसके तीन साथी भी पानी में उतर गए, लेकिन वे भी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सके और चारों गंगनहर में लापता हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि गंगनहर में सिल्ट सफाई के कारण जलस्तर कम (शेष पृष्ठ 5 पर)

जयपुर ग्रामीण में भाजपा प्रत्याशी की मात्र 1 6 1 5 वोटों से विवादित जीत का मामला फिर गरमाया, चुनाव आयोग कटघरे में

हाईकोर्ट ने चुनाव अधिकारियों को मामले में आवश्यक पक्षकार बने रहने का फैसला दिया

**-यादवेन्द्र शर्मा-
जयपुर, 31 जुलाई।** जयपुर ग्रामीण के वर्ष 2024 में हुये संसदीय चुनाव का मामला फिर गरमा गया है। जैसा कि विदित है कि इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राव राजेन्द्र सिंह की कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा के विरुद्ध बड़ी विवादित और बहुत ही कम अंतर से जीत हुई थी। इस विवाद को लेकर हाईकोर्ट में दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी ने चुनाव आयोग और उसके अफसरों के आवेदन को खारिज करते हुए आदेश दिया है और कहा है

- **अदालत ने कहा कि एक ओर तो चुनाव अधिकारियों ने कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा की ‘‘री-काउंटिंग’’ की गुहार को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि खारिज किये गये डाकमत 1225 ही हैं जो जीत के अंतर रद्द करने के लिये पर्याप्त नहीं, फिर इन्हीं अफसरों ने सूचना के अधिकार में दी जानकारी में खारिज किये गये डाकमतों की संख्या 2738 बताई।**
- **अदालत ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट, जो निर्वाचन अधिकारी भी हैं, उप निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग के राजस्थान क्षेत्र के सचिव ही इस विवाद का स्पष्टीकरण दे सकते हैं, इसीलिये आवश्यक पक्षकार बने रहे।**
- **याचिकाकर्ता अनिल चोपड़ा के वकील संजय शर्मा ने कहा कि 2024 में हुए चुनावों में चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया था कि डाक मतों की गणना पहले की जायेगी और उसके बाद ही ईवीएम मशीन से दिये गये मतों की, परंतु, जयपुर ग्रामीण के चुनाव में डाक मतों की गणना बाद में की गई। इस सबसे मतगणना पर कई सवाल पैदा हो जाते हैं।**

कि वह इस मामले में आवश्यक पक्षकार बने रहेंगे।

अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग के अफसरों ने ही याचिकाकर्ता अनिल

चोपड़ा को ‘‘रिकाउंटिंग’’ की गुहार को रद्द करते हुए कहा था कि मतगणना में

मात्र 1225 डाकमत ही निरस्त किये गये हैं और यह संख्या भाजपा प्रत्याशी

को मिले वोट के अंतर, 1615, से कम है, ऐसे में किसी भी सूरत में कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव का परिणाम नहीं बदल पायेंगे। बाद में इन्हीं चुनाव अधिकारियों ने ही अनिल चोपड़ा की सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में निरस्त किये गये डाकमतों की संख्या 2738 बताई। इन तथ्यों के मद्देनजर रखते हुए अदालत ने जयपुर ग्रामीण चुनाव क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट- कम-निर्वाचन अधिकारी, उप निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग के राजस्थान क्षेत्र के (शेष पृष्ठ 5 पर)